







अपीय - 0165/ 2019 | रवरगोर्ग आर अर

BEFORE THE HON'BLE BOARD OF REVENUE AND CHIEF REVENUE AUTHORITY, MOTI MAHAL, GWALIOR (M.P.)

Appeal No.

/2019

M/s. Agrawal Distillery Pvt.Ltd., Katkut Road, Barwaha, District Khargone. (M.P.)

Appellant

Vs.

State of M.P., Through Commissioner of Excise, Department of Excise, Moti Mahal, Gwalior (M.P.)

Respondent

APPEAL U/S. 62(2)(C) OF THE M.P.EXCISE ACT, 1915 AGAINST THE ORDER DATED 23.10.2018 PASSED IN NO.5(2)/2010-2011 CASE AASWANI COMMISSIONER OF EXCISE, M.P., WHEREBY THE LEARNED COMMISSIONER HAS IMPOSED THE SUM OF RS. 2.98,80,000 CRORES AS THE RECOVERABLE EXCISE DUTY TOGHTHER WITH PENALTY WITHOUT SPECIFYING THAT UNDER WHICH PROVISIONS OF LAW THE HUGE DUTY AND THE PENALTY HAS BEEN IMPOSED EVEN THE LEARNED COMMISSIONER HAS WILFULLY DISREGARDED THE DIRECTIONS GIVEN BY THIS HON'BLE BOARD EARLIER VIDE ORDER DATED 10.01.2014 IN THE APPEAL NO. 85-2/12 WHEREBY THIS HON'BLE COURT HAS REJECTED THE EARLIER ORDER LEARNED COMMISSIONER THE REMANDED BACK THE MATTER WITH THE DIRECTIONS TO DECIDE IT AFRESH AS PER THE EXPLICATIONS FIND OUT BY THIS HON'BLE COURT BUT THEN TO THE LEARNED COMMISSIONER HAS AGAIN PASSED THE IMPUGNED ORDER BY NEGLECTING THE CLEAR DIRECTIONS OF THIS HON'BLE BOARD.



न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 0165/2019/खरगोन/आ030

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों के हस्ताक्षर	एवं आदि
27-02-19	यह अपील आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक		
	23-10-2018 के विरूद्ध दिनांक 21-1-2019 को ग्वालियर		
	मुख्यालय पर प्रस्तुत की गई थी । अपीलार्थी ने एक		
	अन्य अपील प्रकरण क्रमांक 0143/2019/खरगोन/ आ.अ.		
	भी अपीलार्थी के द्वारा उसी प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 23-		
	10-2018 के विरूद्ध दिनांक 22-1-2019 को इंदौर सर्किट		
	कैम्प पर प्रस्तुत किया गया । स्पष्ट है कि एक ही आदेश		
	की दो अलग-अलग अपीलें एक दिन के अन्तराल पर		
	ग्वालियर मुख्यालय एवं इंदौर सर्किट कैम्प पर अपीलार्थी		
	के द्वारा प्रस्तुत की गई है । इंदौर सर्किट कैम्प पर		
	अपील प्रस्तुत करते समय अपीलार्थी द्वारा इस तथ्य को		
	छुपाया गया कि उसके द्वारा ग्वालियर मुख्यालय पर		
	अपील प्रस्तुत की जा चुकी है । ग्वालियर मुख्यालय पर		
	प्रस्तुत अपील क्रमांक 0165/2019/खरगोन/ आ.अ. एक ही		
	आदेश के विरूद्ध दूसरा प्रकरण होने के कारण समाप्त		
	किया जाता है, क्योंकि प्रकरण क्रमांक		
	0143/2019/खरगोन/ आ.अ. पहले ही ग्राह्य हो चुका है ।		
	अध्यक्ष		